न्यायालय संख्या–1

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

उपस्थितः माननीय न्यायमूर्ति साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष।

पुनर्विचार याचिका संख्या–32/2025

निर्देश याचिका संख्या– 219 सन् 2025

देवेन्द्र जैन, आयु लगभग 55 वर्ष, पुत्र श्री हुकुम चन्द्र जैन, वर्तमान में सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर आबकारी विभाग, मुख्यालय, प्रयागराज से सम्बद्ध।

.....याची।

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अपर मुख्य सचिव,आबकारी विभाग, उ0प्र0शासन, सिविल सचिवालय, लखनऊ।

2– आबकारी आयुक्त, प्रयागराज।

..... विपक्षीगण।

श्री संजय शंकर पाण्डेय, याची के अधिवक्ता।
श्री पंकज सिंह, विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, विपक्षीगण की ओर से।

निर्णय

(द्वारा–माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष।

उपरोक्त पुनर्विचार याचिका याची द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा (अधिकरण) प्रकिया नियमावली–1992 के नियम–17 के अन्तर्गत निर्देश याचिका संख्या–219/2025 देवेन्द्र जैन बनाम् बनाम् उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में इस अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 02–06–2025 को पुनर्विचारित किये जाने हेतु दिनांक 30–06–2025 को प्रस्तुत की गयी।

2– प्रश्नगत आदेश द्वारा अधिकरण की इसी पीठ ने अंगीकरण के स्तर पर याची की याचिका इस आधार पर निरस्त की कि प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित 09–04–2018 एवं प्रत्यावेदन निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 27–08–2019 के विरूद्व अधिकरण में दिनांक 04–2–2025 को प्रस्तुत की गयी याची की याचिका समय बाधित है। अधिकरण ने यह भी पाया कि दण्डादेश दिनांकित 09–04–2018 के विरूद्व याची द्वारा दिनांक 28–05–2018 को प्रत्यावेदन दिया गया एवं उक्त प्रत्यावेदन के बारे में कोई जानकारी न मिलने पर दिनांक 30–12–2024 को याची द्वारा सूचना अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र

दिया गया। इस प्रकार लगभग साढ़े छः वर्ष तक याची ने अपने प्रत्यावेदन दिनांकित 28–05–2018 के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की गयी जो याची की निष्क्रियता को दर्शाता है।

3– याची पक्ष से तर्क लिया गया कि याची द्वारा दण्डादेश दिनांकित 09–04–2018 व प्रत्यावेदन निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 27–08–2019 के विरूद्व यह याचिका प्रस्तुत करने पर विपक्षी पक्ष से इस सम्बन्ध में 15–05–2025 दिनांकित आपत्ति अक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरों से दाखिल की गयी। प्रतयावेदन निरसतीकरण आदेश दिनांकित 27–8–2019 याची पर कभी तामील ही नही हुआ एवं उक्त आदेश उसके नाम से भी प्रेषित नही किया गया। इस सम्बन्ध में विपक्षीगण कार्यालय का डिस्पैच रजिस्टर भी नही मंगाया गया। प्रत्यावेदन तय करने हेतु नोटिस प्रस्तुत किये जाने पर जवाब देने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की बन जाती है किन्तु विपक्षी पक्ष से 27–8–2019 दिनांकित प्रतयावेदन निरस्तीकरण आदेश की कोई सूचना /तामीला नोटिस में अंकित समय की समाप्ति पर भी याची को नही दी गयी। याची ने 28–05–2019 दिनांकित प्रत्यावेदन आबकारी मन्त्री को नही दिया बल्कि यह प्रत्यावेदन उसने सक्षम अधिकारी को दण्डादेश दिनांकित 09–04–2018 को निरस्त करने हेतु दिया था, अतः निर्णय में यह अंकित किया जाना कि उक्त पत्र आबकारी मंत्री को भेजा गया गलत है। 28–05–2019 दिनांकित प्रत्यावेदन में आबकारी मन्त्री तकनीकी गलती से लिख गया है जिसे अनदेखा किया जाना आवश्यक है। याची पर प्रत्यावेदन निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 27–08–2019 की कोई तामीला हुई हो इसकी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। अतः अधिकरण का निर्णय कि याची पर उक्त प्रतयावेदन निरस्तीकरण आदेश की तामीला हो गयी पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के विरूद्व है, तदनुसार इस अधिकरण के निर्णय दिनांकित 02–06–2025 को वापिस लिये जाने एवं पुनर्विचार याचिका स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

4– विपक्षीपक्ष से उक्त पुनर्विचार याचिका के विरूद्व आपत्ति दाखिल करके कथन किया गया कि जांच आख्या, याची के अभ्यावेदन, लोक सेवा आयोग के परामर्श एवं प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरानत याची को आदेश दिनांकित 09–04–2018 द्वारा परिनिंदा प्रविष्टि व दो वार्षिक वेतन वृद्वियां अस्थायी रूप से दो वर्ष के लिए रोके जाने का दण्ड दिया गया था। इस दण्डादेश दिनांकित 09–04–2018 के विरूद्व याची का 28–05–2018 दिनांकित प्रत्यावेदन शासन के आदेश दिनांकित 27–08–2019 द्वारा निरस्त हुआ जिसके सम्बन्ध में पंजीकृत डाक से याची को सूचित करने

हेतु 05–09–2019 दिनांकित रजिस्ट्रर्ड पत्र प्रेषित किया गया। दण्डादेश दिनांकित 09–04–2018 एवं प्रत्यावेदन निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 27–08–2019 के विरूद्व अधिकरण के समक्ष याची द्वारा याचिका संख्या–219/2025 देवेन्द्र जैन बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रस्तुत की गयी जो निर्णय दिनांकित 02–06–2025 द्वारा अंगीकरण के स्तर पर ही निरस्त की गयी जिसके विरूद्व मौजूदा पुनर्विचार याचिका योजित की गयी है। प्रत्यावेदन निरस्तीकरण के आदेश दिनांकित 27–08–2019 के लगभग 06 वर्ष बाद अत्यन्त विलम्ब से निर्देश याचिका प्रस्तुत की गयी। विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा तर्क लिया गया कि पुनर्विचार याचिका आदेश–47 नियम–1 सी0पी0सी0 के अनुसार मात्र 03 बिन्दुओं पर ही स्वीकार की जा सकती है, प्रथम नये तथ्य संज्ञान में आने पर द्वितीय आदेश में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित हाने पर तीसरे कोई अन्य उचित कारण होने पर। याची पक्ष से उपरोक्त किसी आधार पर पुनविचारण प्रार्थना पत्र न दिए जाने के कारण उक्त पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण निरस्त करने की मांग की गयी।

5– विपक्षी पक्ष से प्रस्तुत आपत्तियों पर पुनर्विचार याचिका के याची द्वारा प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत कर पुनर्विचार प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराया गया।

6– पुनर्विचार याचिका पर याची की तरफ से अधिवक्ता श्री इन्तजार अहमद व विपक्षीगण की ओर से विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की बहस सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मैं निम्न निष्कर्ष पर पहुॅचती हूॅः–

7– स्वीकृत रूप से दण्डादेश दिनांकित 09–04–2018 एवं प्रत्यावेदन निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 27–8–2019 के विरूद्व दिनांक 04–02–2025 को याची की ओर से याचिका प्रस्तुत की गयी। याची के द्वारा कथन किया गया कि दण्डादेश के विरूद्व 28–05–2018 दिनांकित प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसके पश्चात् याची के द्वारा 28–5–2019 को अनुस्मारक तथा 03–08–2023 को विधिक नोटिस भी दिया था। 28–5–2018 दिनांकित प्रत्यावेदन आदेश दिनांकित 27–8–2019 द्वारा तय होने के पश्चात् याची के कथनानुसार उसे कोई सूचना उसके निरस्तीकरण की नही दी गयी जबकि विपक्षी पक्ष से इस सम्बन्ध में प्रस्तुत रजिस्ट्री रसीद प्रस्तुत की गयी। यह सही है कि रजिस्ट्री रसीद के आधार पर 30 दिन में रजिस्ट्री की तामीला की अवधारणा खण्डनीय है किन्तु 28–05–2018 को प्रत्यावेदन देने के पश्चात् याची द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को कोई भी अनुस्मारक अथवा नोटिस नही

दिया गया। कथित अनुस्मारक दिनांकित 28–05–2019 व नोटिस दिनांकित 03–08–2023 का जहॉ तक प्रश्न है ये दस्तावेज आबकारी मन्त्री को दिया गया प्रार्थना पत्र व उसके निस्तारण सम्बन्धी नोटिस हैं जिससे स्पष्ट है कि 28–5–2018 को प्रत्यावेदन देने के पश्चात् याची द्वारा सर्वप्रथम इस सम्बन्ध में जानकारी जन सूचना अधिकार के तहत 30–12–2024 को यानी लगभग साढ़े छः वर्ष बाद चाही गयी जिसे याची की ओर से याचिका को समय सीमा में लाने का प्रयास मानते हुए अधिकरण द्वारा याची की याचिका समय बाधित मानते हुए अंगीकरण स्तर पर ही निरस्त की गयी। याची द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल बोर्ड किकेट इण्डिया एवं अन्य बनाम् नेता जी किकेट क्लब एवं अन्य (ए0आई0आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 592) को प्रस्तुत करके कहा गया कि उसे कोई भी रजिस्ट्री की प्राप्ति नही हुई थी, याची के तर्क कि उसे रजिस्ट्री की प्राप्ति नही हुई थी या उसे प्रत्यावेदन निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 27–8–2019 की जानकारी नही थी इस सम्बन्ध में निर्णय/आदेश दिनांकित 02–06–2025 में पर्याप्त निष्कर्ष दिया जा चुका है। समान बिन्दु पर पुनर्विचार प्रार्थना पत्र कदापि पोषणीय नही कहा जा सकता। याची द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त नजीर में भी चरण–91 में स्पष्ट अंकित है कि सीपीसी के अनुसार पुनर्विचार प्रार्थना पत्र आदेश –47 नियम–1 दी0प्र0सं0 के अन्तर्गत कोई नया तथ्य प्रकाश में आने पर, प्रथम दृष्टया अभिलेखों पर परिलिक्षित त्रुटि (prima facie on the face of the record) या कोई उचित कारण होने पर ही पोषणीय हो सकता है किन्तु याची द्वारा प्रस्तुत किये गये पुनर्विचार प्रार्थना पत्र में कोई भी ऐसा नया आधार जो उसके द्वारा पूर्व में तर्क में न लिया गया हो, ऐसा अंकित अथवा बहस में नही कहा गया है। रिकार्ड पर कोई प्रथमदृष्टया परिलक्षित त्रुटि या अन्य कोई समुचित कारण पुनव्रिचार प्राथ्रना स्वीकार करने का याची पक्ष से पेश नही किया गया। परिणामतः याची का पुनर्विचार प्रार्थना पत्र आदेश–47 नियम–1 दी0प्र0सं0 के प्राविधानों के अन्तर्गत न होने के कारण पोषणीय नही है।

8– अतः पुनर्विचार याचिका स्वीकार होने योग्य नही है, तदनुसार पुनर्विचार याचिका निरस्त की जाती है। उभयपक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेगे।

ह0
(न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर)
अध्यक्ष

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

ह0
(न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर)
अध्यक्ष

दिनांक : 18–03–2026/आरपी/पीएस